which include reservation quotas on certain trains, travelling on Indrail Passes purchased by them and package tour on special train called 'Palace on Wheels'.

देश में नए क्षेत्रों के लिए विमान सेवा

13. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1991 के दौरान देश के किन-किन भागों में नई विमान सेवाएं आरंभ की गई हैं ; और

(ख) इनमें से कौन-कौन सी ऐसी विमानन सेवाएं हैं ; जो पहले संचालित की जा रही थीं और जिन्हें इस अवधि के दौरान निरस्त कर दिया गया ; साथ ही उन्हें निरस्त करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, कोई नहीं । तथापि, वायुदूत ने लखनऊ कानपुर और पांडिचेरी के लिए अपनी सेवाएं पुनः चालू कर दी हैं ।

(ख) जुलाई 1991 के दौरान श्रीनगर-जम्मू-श्रीनगर क्षेत्र पर इंडियन एयरलाइंस की सेवाएं परिचालनात्मक कारणों से बन्द कर दी गई थी और दिल्ली-पंतनगर-दिल्ली क्षेत्र पर वायुदूत की सेवाएं मानसून शुरू हो जाने के कारण बंद कर दी गई थी ।

"डेसु" द्वारा लगाये गये निषेधात्मक आदेश

14. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री 29 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1022 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हाल ही में वातानुकूलन यंत्रों तथा निम्नलिखित साइनबोर्डों के प्रयोग के संबंध में लगाये गये निषेधात्मक आदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं, जिनमें उपरोक्त निषेधात्मक आदेशों का जनता द्वारा उल्लंघन किया गया है ; और

(ग) उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली नियंत्रण आदेश, 1959 की धारा 4(6) के अधीन निम्नान साइनों और धारा 4(11) के अधीन वातानुकूलन यंत्रों हेतु 6.30 सांयकाल से 10.00 रात्रि तक के लिए भार (लोड) पर इस समय पहले से ही लागू निषेधात्मक आदेशों के अलावा निम्नलिखित प्रतिबन्धों को अपनाए जाने के लिए जुलाई, 1991 के प्रथम सप्ताह में प्रैस विज्ञापनों के माध्यम से भी डेसू द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई थी :—

"1. निम्नान साइनों सजावटी लाइटें, विज्ञापनों, दुकान की खिड़की में सामग्री का प्रदर्शन और फव्वारे की लाइट का स्वीच आन न करें ।

2. वातानुकूलन यंत्रों का उपयोग न करें ।

3. व्यस्ततमकालीन भार/प्रतिबन्धों के दौरान (6.39 सांय से 9.30 सायं) उद्योग का प्रचालन न करें ।

4. जब कभी आवश्यकता न हो तो लाइट, फेन, कूलर आदि का स्वीच आन न रखें ।"

(ख) और (ग) 1-7-1991 से 21-8-1991 तक यथोक्त निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन किये जाने के लिए वातानुकूलन से सम्बन्धित 647 मामलों और निम्नान साइनों से सम्बन्धित 923 मामलों का डेसू द्वारा पता लगाया गया था । निषेधात्मक

आदेशों का पहली बार उल्लंघन किये जाने पर 4 दिन की अवधि के लिए बिजली का कनक्शन काट दिये जाने, दूसरी बार उल्लंघन किये जाने पर दो सप्ताह के लिए बिजली का कनैक्शन काट दिये जाने तथा तीसरी बार उल्लंघन किये जाने पर निषेधात्मक आदेशों की पूर्ण अवधि के लिए बिजली का कनैक्शन काट दिये जाने का दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश, 1959 में प्रावधान है।

Coal Production in Maharashtra

15. SHRI NARESH PUGLIA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has increased royalty to Rs. 70 per tonne w.e.f, the 1st August 1991 and if so, how much annual royalty Maharashtra will get as a result thereof;

Co) what was the total production of coal in Maharashtra during the last three years, year-wise;

(c) what was the quantity out of this that was despatched by train and road during the last three years till March, 1991, area-wise and what is :he balance of coal as on the 1st April, 1991, area-wise;

(d) the amount of royalty that has been paid to Maharashtra for above period, year-wise; and

(e) what is the balance payment which has not been paid to the Government of Maharashtra and whether royalty has been paid on the basis 01 declared production or on the quantity despatch?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL. (SHRI S. B. NYAMAGOUDAR): (a) Yes, Sir. the royalty rates have been revised upwards to an average of Rs. 70 per tonne of coal w.e.f. 1-8-91 except for the coal produced in the States of West Bengal and Assam. About Rs. Ill crores will accrue to the Government of Maharashtra annually on account of royalty on coal at the revised rates.

(b) During 1988-89, 1989-90 and 1990-91 the coal production in Maharashtra was 15.11 million tonnes, 16.34 million tonne and 16.85 million tonne respectively.

(c) According to information furnished by Western Coalfields Limited the area-wise despatches from Maharashtra by rail, road and other means for the last three years and the stock of coal as on 1-4-1991 were as under: —

(million tonne)

Area	Coal despatched durnig			Stock on 1-4-91
	1988-89	1989-90	1990-91	(Provisio-nal)
Chandrapur	3.95	4.09	3.86	0.18
Ballarpur	1.86	1.99	2.86	0.80
Wani	4.92	5.54	6.47	0.81
Nagpur	3.26	3.54	4.23	0.58
Total :	13.99	15.16	17.42	2.37